

Vol XI 2022

ISSN : 2250-2653

RESEARCH FRONTS

A Peer Reviewed Journal of Multiple Sciences, Arts & Commerce



Vol XI 2022

RESEARCH FRONTS

ISSN : 2250-2653

Copyright – no part of the content(s) of the volume is allowed to be reproduced without the prior permission of the Govt. Digvijay Auto. P.G. College Rajnandgaon (C.G.)

Chief Editor

Dr. K. L. Tandekar, Principal & Patron

Government Digvijay Autonomous P.G. College Rajnandgaon, Chhattisgarh

Editorial Board

Dr. Shailendra Bharal, Prof. Commerce, Vikram University Ujjain

Dr. Vinod Sen, Ass. Prof. Economics, IGNTU, Amarkantak

Dr. Gaour Gopal Banik, Assot. Prof. Accountancy, Commerce college Guahati

Dr. Jitendra Ramteke, Prof. and Head, Department of Physics, S M Mohota College of Science, Nagpur (MS)

Dr. Anima Nanda, Dean, Bio and chemical engineering, Satyabhama, Institute of Science and Technology (Deemed to be university) Chennai 600119

Prof Manoj Kumar Sinha, Department of Geography, Patna university.

Dr. Pramod Kumar Mahish, Department of Biotechnology, Govt. Digvijay College Rajnandgaon, Chhattisgarh, India

Dr. Keshaw Ram Adil, Department of Botany, Govt. Digvijay College Rajnandgaon, Chhattisgarh, India

Prof. (Asst.) Ragini Parate, Asst. Professor of Commerce, Govt. Digvijay College Rajnandgaon, Chhattisgarh, India

Board of Advisors

Prof. M. K. Verma, Vice Chancellor, Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University Durg, India.

Dr. S. K. Jadhav, Professor of Biotech. , Pt. Ravishankar Shukla University Raipur

Dr. P. R. Chandel, Principal Govt. PG College Chhindwada (M.P.)

Prof. Adhikesh Rai, Deal faculty of Commerce, Rani Durgawati University Indore

Dr. Ravindra Bramhe, Professor of Economics, Pt. Ravishankar Shukla University Raipur, Chhattisgarh, India

Dr. R. P. Patel, Professor, Department of Physics, Guru Ghasidas Central University, Bilaspur (C.G.)

Managing Editor

Prof. (Asst.) Raju Khunttey, rajugdcr@gmail.com

Published by

Government Digvijay Autonomous P.G. College Rajnandgaon, Chhattisgarh, India

Contents

S. No.	Title	Author(s)	Pages
1	Prof. Mohd. Firoz Khan: Scholarship and Simplicity is Thy Name	<i>Mumtaz Khan</i>	1 - 4
2	Assessment of Welfare Schemes for Educational Development A case study of the SC Population of Birbhum District, West Bengal	<i>Somnath Majhi and Sudhir Malakar</i>	5 - 17
3	Diversity of Rotifera in Kapileshwar lake, Ashti, Di-Wardha (M.S.)	<i>S.S. Ningare and U.W. Fule</i>	18 - 24
4	कालिक बाजार केन्द्रों की स्थानिक-कालिक संगठन	डुमन साहू और कृष्णनन्दन प्रसाद	25 - 45
5	बी.एड. प्रशिक्षार्थियों के सृजनात्मक शिक्षण अभिवृत्ति पर अध्ययन	नीतू सिंह, डॉ. निषा श्रीवास्तव	46 - 51
6	Eco-revolution through Minor forest-based products in the state of Chhattisgarh	<i>Madhu Yadav and D.P. Kurre</i>	52 - 67
7	वित्त आयोग की ग्राम पंचायत के विकास में भूमिका	रागिनीए के. एल. टांडेकर	68 - 73
8	छत्तीसगढ़ी कविता में जनजागरण (लक्ष्मण मस्तुरिया के संदर्भ में)	कैलाश कुमार, शंकरमुनि राय	74 - 82
9	Somatogenic Properties of Soil In Relation To Microwave Remote Sensing	<i>A. K. Shrivastava & S. K. Patel</i>	83 - 94
10	कांट, कृ.च.भट्टाचार्य तथा योग	हरनाम सिंह अलरेजा	95 - 98

वित्त आयोग की ग्राम पंचायत के विकास में भूमिका

रागिनी, के.एल.टांडेकर

Affiliation:

शासकीय दिग्विजय स्वशासी महाविद्यालय राजनांदगाँव छ.ग.

Corresponding

Author:

के.एल.टांडेकर

शासकीय दिग्विजय
स्वशासी महाविद्यालय
राजनांदगाँव छ.ग.

principal@digvijaycollege.com

Abstract:

भारत में ग्राम पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है। वैदिक काल से वित्त आयोग, भूमिका, ही हिन्दुराज व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक युग में इनकी भूमिका व पंचायती राज्य, ग्राम अस्तित्व के प्रमाण समकालीन ग्रन्थों से प्राप्त होते हैं। सन् 1952 में पंचायत, अनुदान सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ किया। 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान ने की, नयी पंचायती व्यवस्था का प्रारंभ किया। भारतीय संसद ने दिसंबर 1992 में संविधान के 73 वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नया अध्याय 9 जोड़ा गया है।

Keywords:

वित्त आयोग की ग्राम पंचायत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है अध्ययन हेतु कुल 10 ग्राम पंचायतों का अध्ययन किया गया जिसमें विभिन्न सुविधाओं का विप्लेषण किया गया, जिसमें विभिन्न नागरिकों द्वारा वित्त आयोग की सेवाओं का योगदान लगभग 80 जिससे वित्त आयोग की ग्राम पंचायत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है।

1.प्रस्तावना :-

भारत में ग्राम पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है। वैदिक काल से ही हिन्दुराज व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक युग में इनकी भूमिका व अस्तित्व के प्रमाण समकालीन ग्रन्थों से प्राप्त होते हैं। सन् 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ किया। 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान ने की, नयी पंचायती व्यवस्था का प्रारंभ किया। भारतीय संसद ने दिसंबर 1992 में संविधान के 73 वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नया अध्याय 9 जोड़ा गया है। अध्याय 9 द्वारा संविधान में 16 अनुच्छेद और एक नई अनुसूची ग्याहरवी अनुसूची जोड़ी गई 24 अप्रैल 1993 से 73 वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 लागू किया गया।

संविधान के अनुच्छेद 243 छ में पंचायतों की स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कल्पना की लेकिन शक्तियों और कार्य सौंपने का कार्य राज्य विधान मंडल की इच्छा के अधीन रखा गया है।

ग्राम सभा ग्राम के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्य करेगी जो राज्य विधानमंडल विधि बनाकर उपबंध करें। संविधान के अनुच्छेद 243 ख त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर , और जिला स्तर पर पंचायती राज का गठन किया जाएगा किन्तु उस राज्य में जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। वहाँ मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतो का गठन करना आवश्यक नहीं होगा ।

संविधान के अनुच्छेद 243 झ में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और अनुच्छेद 243 ज में उल्लिखित प्रमुख मामलों को विनियमित करने के सिद्धांतों के संबंध में राज्यपाल से सिफारिश करने के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है।

2. अध्ययन का उद्देश्य :-

- 1.ग्राम पंचायत स्तर की सेवाओं में वित्त आयोग की भूमिका का अध्ययन करना ।
- 2.ग्राम पंचायत की सेवाओं को सुदृढ़ करने में वित्त आयोग की भूमिका का अध्ययन करना।
- 3.ग्राम पंचायतों का प्राप्त होने वाले अनुदान के उपयोग में वित्त आयोग की भूमिका का अध्ययन करना।

3.संमकों का संकलन :-

प्राथमिक स्त्रोत एवं द्वितीयक स्त्रोत के माध्यम से आंकड़ों का संकलन किया जाएगा प्राथमिक स्त्रोत के रूप में हितग्राहियों से प्रज्ञावली ,अनुसूची एवं साक्षात्कार के माध्यम आंकड़ों का संकलन किया जाएगा। द्वितीयक स्त्रोत के रूप में ग्राम पंचायत से सेवा स्तर के संबंध में आंकड़ों का संकलन किया जाएगा।

प्राथमिक समंक के लिए राजनांदगाँव जिले एवं बस्तर जिले के 5-5 ग्राम पंचायत के कुल 10 ग्राम पंचायत के लगभग 300 हितग्राहियों से यादृच्छिक विधि से प्राथमिक आंकड़ों का संकलन किया जाएगा सेवाओं की संतुष्टि के संबंध में शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी शहरी सेवाओं के निष्पादन के संदर्भ एवं 15 वें वित्त आयोग द्वारा जारी ग्राम पंचायत की सेवा स्तर के संबंध में वित्त आयोग की भूमिका का अध्ययन किया जाएगा।

4. अध्ययन का क्षेत्र , जनसंख्या , न्यायदर्श , परिसीमन:-

अ. अध्ययन का क्षेत्र:-

अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत राजनांदगाँव के ग्राम पंचायत महरूमकला , डिलापहरी, केषला, धर्मापुर ,मरकामटोला एवं बस्तर जिले के 5 ग्राम पंचायत आसना , बलेंगा, अड़ावाल ,बाबू सेमरा, नकटी सेमरा सम्मिलित किया गया।

ब. जनसंख्या ,न्यायदर्श एवं परिसीमान :-

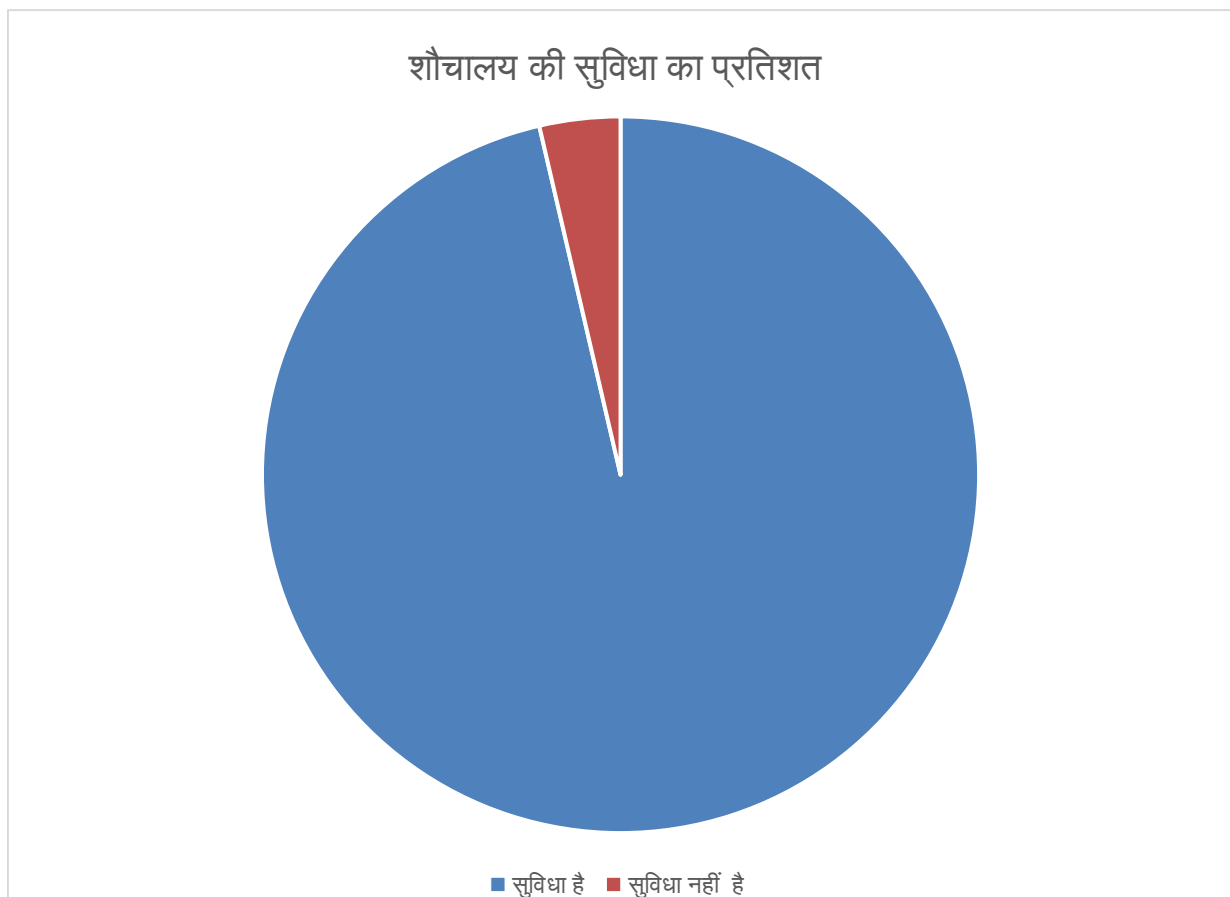
बस्तर में कुल 433 ग्राम पंचायत इसमें से 5 ग्राम पंचायत न्यायदर्श के लिए गए हैं। राजनांदगाँव 221 ग्राम पंचायत में से 5 ग्राम पंचायत न्यायदर्श के रूप में लिया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत से 30 -30 हितग्राहियों का चयन किया गया है। इस प्रकार प्रत्येक जिले से 150 हितग्राहियों का चयन किया गया है।

5.वित्त आयोग की पंचायत राज्य में भूमिका:-

1.जल आपूर्ति के संबंध:-

जल आपूर्ति के संबंध में वित्त आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। कुल 206 हितग्राहियों के घर में नल जल की सुविधाएं हैं जो कि, नल जल सुविधाओं का 68.67 प्रतिशत है। तथा 94 हितग्राहियों के घर में नल जल की सुविधाएं नहीं हैं एवं इसका प्रतिशत 31.33 है। तथा दोनों जिले में जल आपूर्ति की नियमितता का प्रतिशत 84.66 है एवं 206 हितग्राहियों में अनियमितता का प्रतिशत 15.34 है। पानी की आपूर्ति की मात्रा का औसत 45 एल.पी.एस.डी. है जिससे परिलक्षित होता है।

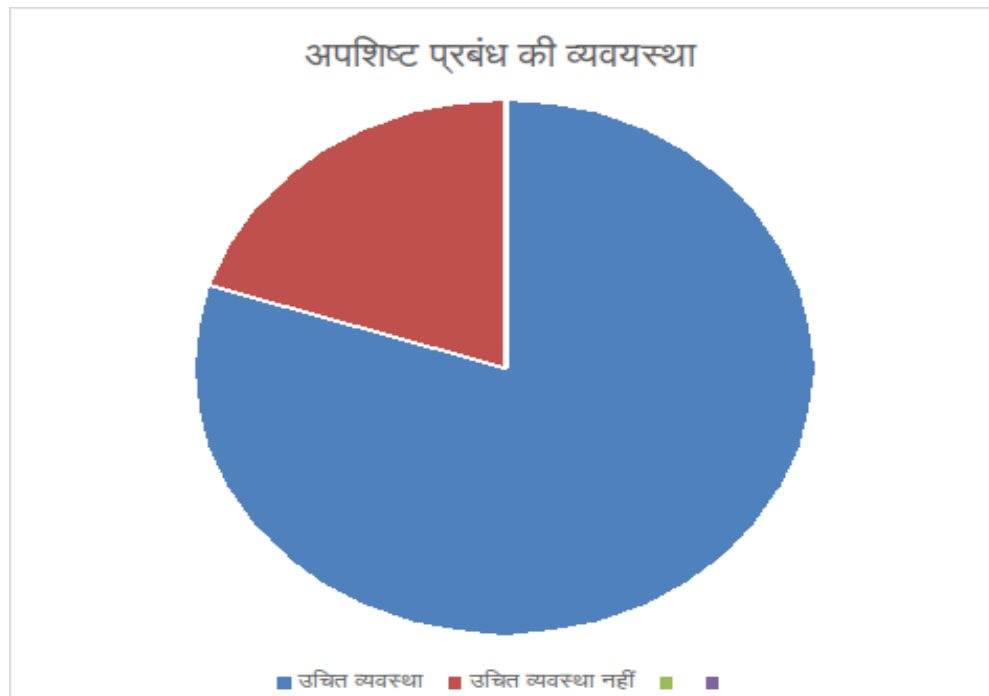
जल आपूर्ति के संबंध में वित्त आयोग की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन:-



जल आपूर्ति के संबंध में नल जल सुविधाओं का प्रतिशत 68.67 है एवं जिसके पास नल जल सुविधा नहीं है उसका प्रतिशत 31.33 है।

2. शौचालय तक पहुँच की सुविधा के संबंध में भूमिका :-

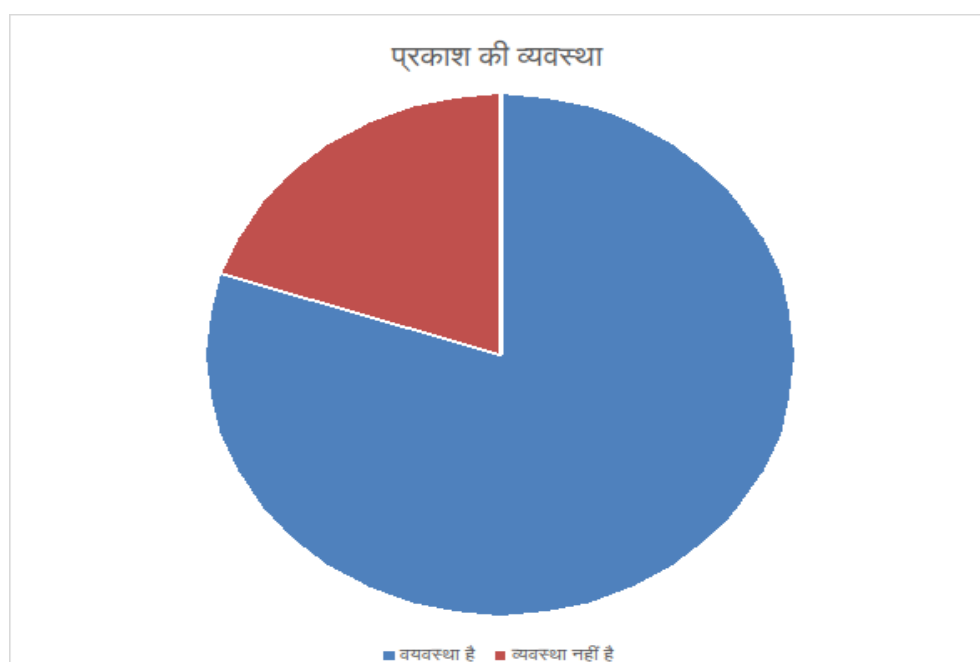
बस्तर एवं राजनांदगाँव जिले में क्रमशः 46 हितग्राहियों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है अतः शौचालय की सुविधा के अभाव का प्रतिशत 15.33 प्रतिशत है। परंतु क्रमशः 254 हितग्राहियों के पास शौचालय की सुविधा है अतः शौचालय की सुविधा का प्रतिशत 84.66 प्रतिशत है। जिससे परिलक्षित होता है कि, वित्त आयोग की पंचायती राज में महत्वपूर्ण भूमिका है।



84.66 प्रतिशत हितग्राहियों के पास षौचालय की सुविधा है एवं 15.33 प्रतिशत हितग्राहियों के पास षौचालय की सुविधा नहीं है

3. अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में भूमिका :-

राजनांदगौव एवं बस्तर जिले में बस्तर जिले के ग्राम पंचायत को छोड़कर राजनांदगौव में 80 प्रतिशत क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट का संग्रहण किया जाता है , बस्तर एवं राजनांदगौव जिले से कुल मिलाकर 8 ग्राम पंचायतों अर्थात् 240 ग्रामवासियों द्वारा ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन किया जाता है जिसमें वित्त आयोग में महत्वपूर्ण भूमिका करना ।

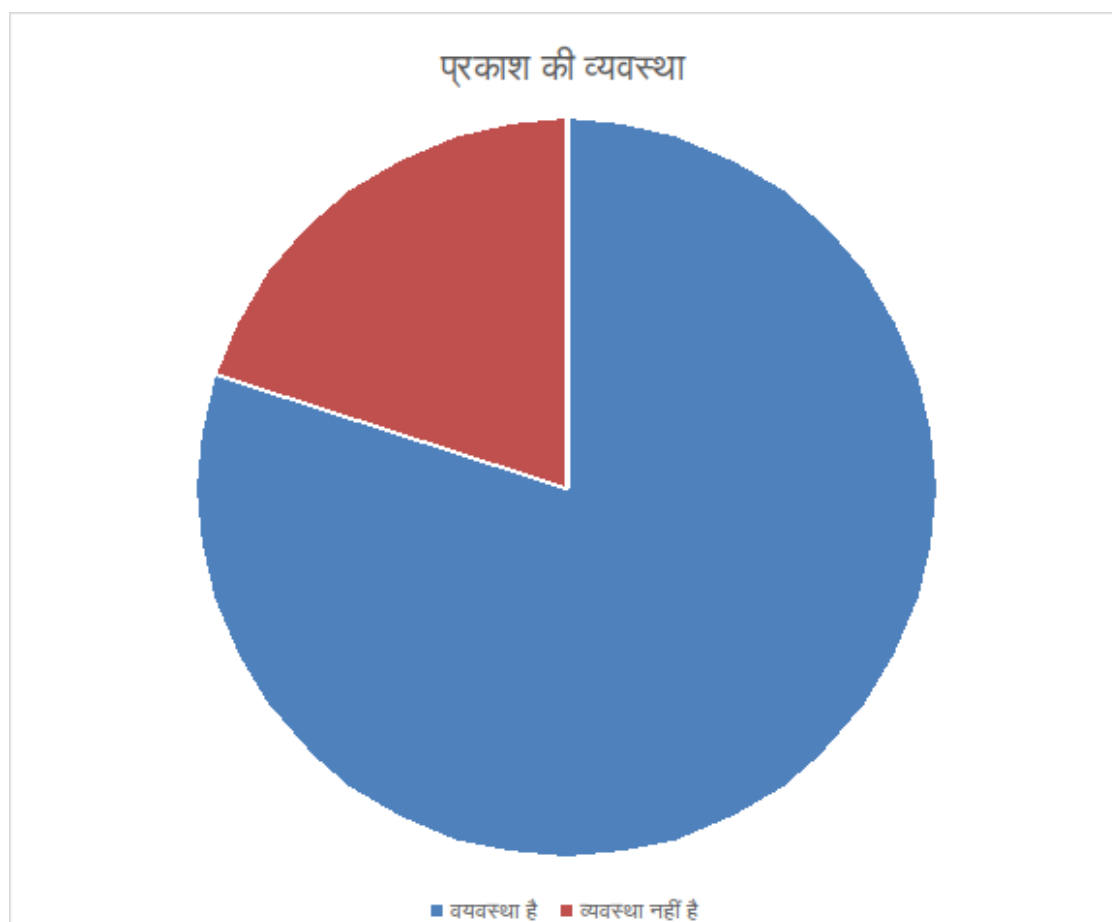


4. वर्षा के पानी के निकासी के संबंध में भूमिका :-

राजनांदगाँव एवं बस्तर जिले में 1-1 ग्राम पंचायत अर्थात् आसना एवं महरूमकला को छोड़कर सभी ग्राम पंचायत जिसमें बस्तर के गाम पंचायत आसना में वर्षा के पानी के समय ग्राम के कुछ क्षेत्र में समस्या होती है कुल 20 प्रतिषत ग्राम प्रभावित है एवं पानी की निकासी उचित व्यवस्था होती है।

5. प्रकाश की व्यवस्था के संबंध में भूमिका :-

बस्तर जिले के 3 ग्राम पंचायत में प्रकाश की व्यवस्था है एवं राजनांदगाँव जिले में सभी ग्राम पंचायत में प्रकाश की व्यवस्था है इस प्रकार कुल 8 ग्राम पंचायत में प्रकाश की व्यवस्था है। जो कि कुल हितग्राहियों का 80 प्रतिषत है।



6. अनुदान प्रदान करने के संबंध में भूमिका :-

वित्त आयोग द्वारा ग्राम पंचायत को 60 प्रतिषत अनुदान प्रदान किया जाता है जिससे ग्राम पंचायत की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होती है।

अध्याय 6. निष्कर्ष :-

वित्त आयोग की ग्राम पंचायत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है जल की व्यवस्था के संदर्भ में 84 प्रतिषत के पास जल की सुविधा है ,प्रकाश की व्यवस्था के संदर्भ में लगभग 80 प्रतिषत हितग्राहियों के पास प्रकाश की सुविधा है ,पौचालय की सुविधा के संदर्भ में 85 प्रतिषत हितग्राहियों के पास पौचालय की सुविधा है , अनुदान के भुगतान के संदर्भ में भी वित्त आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है इस अध्ययन हेतु कुल 10 ग्राम पंचायतों का अध्ययन किया गया जिसमें विभिन्न सुविधाओं का विप्लेषण किया गया ,जिसमें विभिन्न

नागरिकों द्वारा वित्त आयोग की सेवाओं के संदर्भ में संतुष्टि व्यक्त की गई, जिससे वित्त आयोग की स्पष्ट भूमिका दृष्टिगोचर होती है।

7.संदर्भित ग्रंथ:-

1. षोड पद्धति डॉ. आलोक गुप्ता एवं नितिन गुप्ता ।
2. व्यावसायिक सांख्यिकी डॉ. एस. एम.पुक्ल एवं शिवपूजन सहाय ।
3. षहरी विकास मंत्रालय की सेवा स्तर की पुस्तिका।
4. पत्रिका समाचार पत्र
5. जिला सांख्यिकी पुस्तिका राजनांदगौव।
6. अन्य वेबसाइट <https://drishtiias.com>
7. वित्त आयोग की वेबसाइट <https://sfc.cgstate.gov.in>
